राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ.56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 129172-175 दिनांकः 27/12/2022

1. **प्रमुख शासन सचिव,**
   सार्वजनिक निर्माण विभाग,
2. **प्रमुख शासन सचिव,**
   वन एवं पर्यावरण विभाग,
3. **प्रमुख शासन सचिव,**
   नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन बाबत्।
संदर्भः–राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति की बैठक दिनांक 13.09.2022 की कार्यवाही विवरण कमांक 78744 दिनांक 21.09.2022 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग एवं नगरीय विकास विभाग के द्वारा उक्त योजना में PIA (Project Implementing Agency) बनाया जाकर कार्यो का कियान्वयन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत दिनांक 06.05.2022 को जारी की गयी दिशा–निर्देशिका (प्रति संलग्न) में कराये जा सकने वाले अनुमोदित कार्यो के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जावेः–

1. लाईन डिपार्टमेंटों के द्वारा शहरी निकायों के अंतर्गत कराये जा सकने वाले कार्यो के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार कर संबंधित जिले के जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित कमेटी से अनुमोदन कराया जावे एवं बैठक कार्यवाही विवरण का संधारण सम्बन्धित आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी नगरीय निकाय के द्वारा जारी किया जावेगां। वार्षिक कार्य योजना में निकाय स्तर पर कुल स्वीकृत कार्यो की राशि में 75 प्रतिशत श्रम एवं 25 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जा सकेगा।
2. लाईन डिपार्टमेन्ट यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग एवं नगरीय विकास विभाग की SOP (Schedule Of Power) के अनुसार अनुमोदित कार्य योजना में लिये गये कार्यो की तकनीकी स्वीकृति (श्रम नियोजन हेतु श्रम विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप दरों एवं सामग्री हेतु लाईन डिपार्टमेन्ट की बीएसआर अनुरूप दरों का प्रयोग किया जावेगां) जारी किये जाने के उपरांत लाईन डिपार्टमेन्ट के सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति नियमानुसार जारी की जावे।
3. लाईन डिपार्टमेन्ट यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग एवं नगरीय विकास विभाग के द्वारा कराये जाने वाले कार्यो हेतु मस्टररोल संबंधित क्षेत्र के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी के द्वारा उनकी मांग अनुरूप जारी की जावेगी।
4. कार्यो का क्रियान्वन / निष्पादन सम्बन्धित लाईन डिपार्टमेन्ट द्वारा लेखा नियमों के अन्तर्गत एवं विभाग द्वारा जारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुमत कार्यो के अन्तर्गत किया जावेगां।
5. सम्बन्धित लाईन डिपार्टमेन्ट के सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्यो की माप पुस्तिका एवं मस्टरोल भरी जावेगीं एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करेगें।

6. सम्बन्धित लाईन डिपार्टमेन्ट के द्वारा मस्टरोल एवं माप पुस्तिका में कार्यो का मूल्यांकन प्रमाणित कर भुगतान की राशि सत्यापित कर नियमानुसार मस्टररोल्स, माप पुस्तिका एवं बिल–वाउचर्स संबंधित निकाय कार्यालय में श्रमिकों एवं सामग्री के भुगतान हेतु प्रेषित की जावेगीं।
7. संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा पारित मस्टररोल एवं बिल–वाउचर्स अनुरूप श्रमिकों के बैंक खाते में एवं संबंधित फर्मों को नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं भुगतान उपरान्त कार्य की माप पुस्तिका, अन्य बिल वाउचर्स कार्यकारी संस्था को वापिस भिजवाएंगे एवं एक प्रति सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में संधारित की जावें।
8. संबंधित कार्यकारी संस्था (PIA) के द्वारा प्रत्येक कार्य हेतु पृथक्–पृथक् पत्रावली संधारित की जावेगीं। उक्त पत्रावली में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, तकमीना एवं अन्य बिल–वाउचर्स की प्रति आवश्यक रूप से संधारित की जावे।

कृपया आपके स्तर से संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किये जाने का श्रम करावें।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

क्रमांकःएफ.56(क)()सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/129176-445 दिनांकः 27/12/2022
प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक), राजस्थान।
7. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव नगरीय विकास विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग।
9. विशेषाधिकारी वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. वित्तीय सहलाकार स्वायत्त शासन विभाग।
11. संयुक्त निर्देशक आयोजना विभाग राजस्थान जयपुर।
12. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, PWD (समस्त संभाग), राजस्थान।
13. समस्त वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान।
14. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
15. सहायक वन संरक्षक/जिला वन अधिकारी, राजस्थान।
16. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
17. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव